राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर–19 नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर (छ.ग.)
ई–मेल : seiaacg@gmail.com

विषयः– **राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 21/08/2019 को संपन्न 290वीं बैठक का कार्यवाही विवरण**

----000----

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 290वीं बैठक श्री धीरेन्द्र शर्मा, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन की अध्यक्षता में दिनांक 21/08/2019 को संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लियाः–

1. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
2. श्री अरविन्द कुमार गौरहा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
3. श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
4. डॉ. एम.डब्ल्यु.वाय. खान, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
5. डॉ. विकास कुमार जैन, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
6. डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गयाः–

एजेन्डा आयटम क्रमांक–1: दिनांक 20/08/2019 को संपन्न 289वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन।

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 289वीं बैठक दिनांक 20/08/2019 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त स्थिति से समिति सहमत हुई।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–2: औद्योगिक परियोजना एवं गौण/मुख्य खनिजों संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर हेतु निर्णय लिया जाना।

1. **मेसर्स नुवोको विस्टास कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर–चांपा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 638)**

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 28604/ 2017, दिनांक 07/08/2018। वर्तमान में पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन बाबत् दिनांक 31/05/2019 को आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – पूर्व में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट की स्थापना हेतु टीओआर बाबत् आवेदन किया गया था। स्थापित सीमेंट प्लांट के कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित किया जाना प्रस्तावित था।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 22/11/2017 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को बी–1 केटेगरी का होने के कारण स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) ईआईए रिपोर्ट बनाने हेतु जारी किया गया था। तत्पश्चात् परियोजना प्रस्तावक द्वारा फाईनल ई.आई.ए. रिपोर्ट दिनांक 07/08/2018 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई है।

एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा ग्राम–अरसमेटा, तहसील–अकलतरा, जिला–जांजगीर चांपा स्थित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट – 20 मेगावॉट, कुल क्षेत्रफल 82 हेक्टेयर में से 2.5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति को प्रस्तुत जानकारी का तत्समय परीक्षण किया एवं पाया गया कि उद्योग द्वारा राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़ की अनुमति के बिना उद्योग को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित स्थल के स्थान पर अन्य स्थल पर निर्माण कार्य आरंभ किया जा चुका है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर उस पर विचार एवं परियोजना प्रस्तावक का पक्ष सुनने के बाद तदानुसार कार्यवाही की जाएगी।

एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/07/2019 द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण करने हेतु एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य को सूचित किया गया। उक्त ज्ञापन के परिपेक्ष्य में दिनांक 07/07/2019 को उद्योग स्थल का निरीक्षण किया गया।

(ब) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/ निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी:–

1. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की दो सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा एवं डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन दिनांक 22/07/2019 को बैठक के दौरान प्रस्तुत किया गया।

2. निरीक्षण प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्य निम्नानुसार हैः—

- EC No. 461/AEIAA C.G/Plant/Janjgeer-Champa/638 Atal nagar Dated 12-02-2019.
- Proposed site for chimney/Boiler/Turbine for which EC was granted has been changed to new site by the client. As mentioned by the client, proposed site and new site both are within the boundary of Nuvoco Cement Plant, Arasmeta, on the same Khasra numbers mentioned in the proposal for EC.
- Proposed site and new site are approximately 200 meters apart (Annexure-I & Annexure-II).
- On the proposed site a high tension power line is passing through the plot (Annexure-III).
- On the new site client has done site clearance and some part of foundation work (Annexure-IV), as mentioned in the report of the R.O. (CECB), Bilaspur, dated 07.03.2019 (Annexure-V). As per client, no further construction activity was continued after the visit of R.O. (CECB), Bilaspur. At present no construction is going on.
- On the new site material & components procured for establishment of proposed power plant was also found to be dumped (Annexure-VI).

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया थाः—

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 24/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी/ दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई—मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री संजय त्यागी एवं आर.सी. पाठक तथा पर्यावरण सलाहकार मेसर्स बी.एस. इन्वाय—टेक प्राईवेट लिमिटेड, सिकंदराबाद की ओर से श्री वाय.बी.एस. मुर्थी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत निम्न स्थिति पाई गयी थी किः—

1. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 के साईट—1 के स्थान पर साईट—2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना का कार्य किया जा रहा है।
2. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में उल्लेखित खसरा क्रमांक 8/1, 8/2, 9, 20, 36, 55 एवं 56 में साईट—1 के ऊपर से हाई टेंशन लाईन जाने के कारण उपरोक्त खसरा क्रमांक के अंतर्गत ही साईट—2 में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य किया जाना है। वर्तमान में स्थापना का कार्य बंद है।

3. पूर्व में निर्धारित स्थल दक्षिण–पूर्व दिशा साईट–1 से वर्तमान में चयनित स्थल दक्षिण दिशा साईट–2 की दूरी 180 मीटर है। वर्तमान में चयनित स्थल की मिट्टी की गुणवत्ता भी बेहतर होना बताया गया है।

4. क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, बिलासपुर के ज्ञापन दिनांक 07/03/2019 द्वारा कार्य बंद करने के निर्देश के आधार पर ही कार्य तत्समय बंद करना बताया गया है।

5. उपसमिति द्वारा भी उपरोक्त स्थितियों से समिति को अवगत कराया गया।

6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष अनुरोध किया गया कि प्रस्तुतीकरण हेतु पूर्ण तैयारी नहीं होने के कारण, प्रस्तुतीकरण के लिए अन्य तिथि प्रदान की जाए।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया थाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को समस्त पूर्ण जानकारी/दस्तावेज/अद्यतन फोटोग्राफ्स के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(द) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आरिफ अहमद, अधिकृत प्रतिनिधि एवं श्री राजीव रंजन, असिसटेंट वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि उद्योग में कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया है।

2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोल बेस्ड केप्टिव पावर प्लांट के स्थापना का कार्य हेतु दिनांक 18/02/2019 एवं इसके बाद दिनांक 07/03/2019 तक प्लांट के मेसरमेंट बुक (Measurement Book) की प्रति एवं रेडोमिक्स कांक्रीट (Redomix Concrete) के लिए चालान की प्रति प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत प्रतियों से इंगित होता है कि स्थापना का कार्य दिनांक 15/02/2019 से आरंभ किया गया।

3. परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स में प्रदर्शित डिस्प्ले बोर्ड पर 1 गुणा 18 मेगावाट दर्शाया गया है, जबकि आवेदित प्रकरण की क्षमता 1 गुणा 20 मेगावाट है, जिसके लिए एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/02/2019 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है। अतः शिकायत में प्रस्तुत फोटोग्राफ्स आवेदित प्रकरण के स्थापना स्थल (Construction area) का नहीं है।

4. भूमि वर्ष 1982–83 से उद्योग के आधिपत्य में है। छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नया रायपुर के ज्ञापन क्रमांक 4334, दिनांक 13/11/2017 द्वारा डब्ल्यु. एच.आर. डब्ल्यु. आधारित पावर प्लांट – 7 मेगावॉट की अनुमति प्राप्त की गई थी, जिसके आधार पर सिविल फाउंडेशन वर्क (Civil Foundation Work) का कार्य किया जा रहा है।

5. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, नवा रायपुर अटल नगर से बिना स्थापना सम्मति प्राप्त किए निर्माण कार्य आरंभ करने के संबंध में परियोजना प्रस्तावक

द्वारा बताया गया कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 द्वारा अध्यक्ष, समस्त राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए गए, जिसमें निम्न उल्लेख है:–

"For Industries requiring EC, issuing of consent by SPCBs/PCCs shall be one step process and EC will be deemed as CTE in such cases. SPCBs/PCCs shall be involved in the process of granting of EC."

उक्त निर्देश से भ्रांति (Confusion) होने के कारण पर्यावरणीय स्वीकृति उपरांत जल एवं वायु स्थापना सम्मति नहीं प्राप्त की गई।

6. समिति द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली के पत्र दिनांक 02/11/2018 का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नोट किया गया कि उक्त निर्देश छत्तीसगढ़ राज्य में अंगीकृत नहीं किया गया है। उपरोक्त निर्देश से भ्रम की स्थिति निर्मित होना संभव है।

7. ग्राम पंचायत परसदा, ग्राम पंचायत मुलमुला एवं ग्राम पंचायत अर्जुनी के सरपंचों द्वारा प्रेषित पत्र प्राप्ति दिनांक 27/06/2019 के माध्यम से शिकायत प्रस्तुत की गई है।

8. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा दिनांक 29/07/2019 को पंचायतों द्वारा पूर्व में की गई शिकायत को पुनः संलग्न कर प्रेषित किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. उद्योग द्वारा केप्टिव पॉवर प्लांट के पूर्व में निर्धारित स्थल साईट–1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट–2 (प्रस्तावित स्थल) के ले–आउट एवं खसरे का विवरण पटवारी से पुष्टिकरण के साथ प्रस्तुत किया जाए।

2. समिति द्वारा पूर्व में निर्धारित स्थल साईट–1 तथा वर्तमान में चयनित स्थल साईट–2 का अक्षांश (Latitude) एवं देशांश (Longitude) का मापन किया जाए।

3. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, डॉ. मोहन लाल अग्रवाल एवं डॉ. एम.डब्ल्यू.वाई खान, सदस्य के द्वारा प्राप्त शिकायतों के परिपेक्ष्य में उद्योग स्थल का निरीक्षण एवं शिकायतों की जाँच की जाएगी। जाँच में शिकायतकर्ताओं का भी पक्ष सुना जाए। समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

उपसमिति एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. मेसर्स बजरंग पॉवर एण्ड इस्पात लिमिटेड, ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 795)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 33508/2019, दिनांक 23/03/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 18/06/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 06/07/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित आयरन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़, तहसील–दुर्गुकोंदल, जिला–उत्तर बस्तर कांकेर स्थित वन कक्ष क्रमांक 641 एवं 642, कुल क्षेत्रफल – 75 हेक्टेयर में है। परियोजना प्रस्तावक क्षमता विस्तार के तहत् खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 1.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (1.0 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Above threshold value, +45% Fe) एवं 0.2 मिलियन टन प्रतिवर्ष (Below threshold value, -45% Fe which is part of overburden)) तथा आयरन ओर अपशिष्ट का उपयोग करने हेतु न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष के लिए आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री श्रवण कुमार गोयल, डॉयरेक्टर एवं श्री सरत कुमार आचार्य, वाइस प्रेसिडेंट उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. पूर्व में भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ज्ञापन दिनांक 21/02/2018 द्वारा आयरन ओर उत्खनन क्षमता – 0.25 मिलियन टन प्रतिवर्ष से 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई थी।
2. **उत्खनन योजना** – रिव्यू ऑफ माईनिंग प्लान, प्रस्तुत किया गया है, जो क्षेत्रीय खान नियंत्रक, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक कांकेर/लौह/खयो/1191/2018, रायपुर दिनांक 28/02/2019 (अवधि 2019–20 से 2023–24 तक) द्वारा अनुमोदित है।
3. एल.ओ.आई. अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर के ज्ञापन दिनांक 10/11/2014 द्वारा 30 वर्ष की अवधि के लिए जारी किया गया है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 762/खनिज/एम.एल. 51/2003 कांकेर, दिनांक 27/12/2014 द्वारा लौह–अयस्क खनिपट्टा क्षेत्र पर उत्खनन एवं भू–प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।
5. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–उ.ब.कांकेर के ज्ञापन क्रमांक 295/खनिज/ख.प., 2014 कांकेर, दिनांक 07/07/2018 द्वारा क्षेत्रफल 75 हेक्टेयर में से 12 हेक्टेयर क्षेत्र पर भू–प्रवेश एवं कार्य करने की अनुमति प्रदान की गई है।
6. समीपस्थ आबादी ग्राम–हाहालद्दी 1.7 किलोमीटर एवं ग्राम–चचड़ 1.3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन भानुप्रतापपुर 30

किलोमीटर की दूरी पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 58.5 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 18.5 किलोमीटर दूर है। खण्डी नदी 8.3 किलोमीटर दूर है। मिचगांव लोहतार आरक्षित वन लगा हुआ है।

7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

8. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** –

S No.	Land use Category	Land use (in hecater)
1.	Area Under Mine Pit	29.38
2.	Area Under Waste Dump	10.13
3.	Area for Mining - Road	2.70
4.	Afforestation	3.89
5.	Infrastructure	0.05
6.	Stock Yard	3.10
7.	Processing plant	0.19
8.	Area un-used	25.56
	Total	**75.0**

9. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल खपत एवं स्त्रोत** – वर्तमान में परियोजना हेतु 87 घनमीटर प्रतिदिन जल की आवश्यकता होती है। क्षमता विस्तार उपरांत जल की मात्रा कुल 400 घनमीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन हेतु 83 घनमीटर प्रतिदिन, प्लांट 280 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू 17 घनमीटर प्रतिदिन एवं वृक्षारोपण हेतु 20 घनमीटर प्रतिदिन) का उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। आवश्यक जल की आपूर्ति बोरवेल से किया जाना प्रस्तावित है। भू–जल जल की उपयोगिता हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति लिया जाना प्रस्तावित है।

- **भू–जल उपयोग प्रबंधन** – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सेफ जोन में आता है। जिसके अनुसार–

  (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनःचक्रण एवं पुनःउपयोग किया जाना है।

  (ब) ग्राउण्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्वेस्टिंग / ऑर्टिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू–जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउण्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – बेनिफिसीऐशन प्लांट से उत्पन्न दूषित जल 110 घनमीटर प्रतिदिन को थिकनर से रिसाईकलिंग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल की मात्रा 14 घनमीटर प्रतिदिन है, जिसके उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोकपिट निर्माण का प्रस्ताव किया गया है।

10. माईनेबल रिजर्व 5.396 मिलियन टन है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुला क्षेत्र छोड़ा गया है। ओपन कास्ट फुल्ली मेकेनाइज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। बेंच की ऊंचाई 6 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। खदान की संभावित आयु 5 वर्ष है। ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग किया जाता है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाता है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर खुले क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

विगत वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वास्तविक उत्खनन (टन)
2014–15	96,000	85,930
2015–16	2,57,814	1,19,999
2016–17	4,99,012	2,49,998.8
2017–18	6,00,000	3,31,787.11
2018–19	6,00,000	5,30,300 (जनवरी, 2019)

आगामी वर्षो की उत्खनन योजना

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
2019–20	8,00,000
2020–21	10,00,000
2021–22	10,00,000
2022–23	10,00,000
2023–24	10,00,000

11. आयरन ओर उत्पादन के लिए स्क्रीनिंग एवं क्रशिंग हेतु माईनिंग लीज एरिया के अतंर्गत स्क्रीन/क्रशर से परिवहन का कार्य किया जाता है। आयरन ओर को स्पंज आयरन प्लांट बोरझरा/ तिल्दा डिविजन तथा फाईन मटेरियल को पैलेट प्लांट तिल्दा को भेजा जाएगा।
12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि क्षेत्रफल 3.89 हेक्टेयर में 2,500 नग वृक्षारोपण किया गया है।
13. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन क्रमांक 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–
    a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. आवेदित खदान (ग्राम–हाहालद्दी एवं चचड़) का रकबा 75 हेक्टेयर है। अतः यह खदान बी–1 श्रेणी की है। यह प्रकरण खनन क्षमता विस्तार के अलावा न्यू आयरन ओर बेनिफिशिऐशन प्लांट (प्राइमरी ड्राई/वेट) क्षमता – 0.48 मिलियन टन प्रतिवर्ष की स्थापना का है।
2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) एवं 2(बी) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स एवं मिनरल बेनीफिशिऐशन हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–
   i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
   ii. Project Proponent shall submit the permission of DGMS for blasting.
   iii. Project proponent shall submit compliance status of previous Environment Clearance from Regional office, MoEF & CC, Nagpur.
   iv. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.
   v. Project proponent shall submit NOC from Forest Department for Installation of New Iron Ore Benification Plant.
   vi. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
   vii. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

3. मेसर्स कुम्हारी ब्रिक्स अर्थक्ले क्वारी माईन एवं फिक्सड चिमनी ब्रिक्स प्लांट (प्रो.–श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी), ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 835)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/सीजी/एमआईएन/34754/2019, दिनांक 17/04/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 09/05/2019 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 14/05/2019 को ऑनलाईन प्रस्तुत की गई।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित गौण खनिज उत्खनन एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम–कुम्हारी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग स्थित खसरा क्रमांक 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1270/1, 1270/3, 1271, 1272, 1278/2, 1279, 1280

एवं 1281, कुल क्षेत्रफल – 4.625 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित गौण खनिज उत्खनन क्षमता – 3,992.73 घनमीटर प्रतिवर्ष (ईंट उत्पादन 37,99,321 नग प्रतिवर्ष) है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय प्रकरण में परीक्षण उपरांत स्थिति पाई गयी थी कि:–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।
2. समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में कार्यालय नगर पालिका परिषद, कुम्हारी द्वारा दिनांक 21/12/2017 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान, इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 73/खनि.लि02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 09/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें क्षेत्रफल 6.265 हेक्टेयर है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/07/2016 के अनुसार उक्त सभी स्वीकृत उत्खनिपट्टा दिनांक 09/09/2013 के पूर्व से स्वीकृत है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान के 200 मीटर की परिधि में पूर्व दिशा में 10 मीटर से 40 मीटर के भीतर

कच्चा रास्ता एवं 130 मीटर पर खारून नदी स्थित है। इसके अतिरिक्त कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र नहीं है।

5. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर, (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 28/04/2018 द्वारा जारी किया गया है। अतः एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वैधता वृद्धि हेतु आवेदन किया गया है।
6. भूमि खसरा क्रमांक 1268, 1270/1, 1279, 1280 श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी एवं खसरा क्रमांक 1264 श्री अशोक कुमार प्रितवानी के नाम पर है। खसरा क्रमांक 1265, 1266, 1267, 1270/3, 1271, 1281, 1272, 1278/2 श्री नरेन्द्र कुमार प्रितवानी एवं श्री अशोक कुमार प्रितवानी के नाम पर है। उक्त भूमि पर खनिज मिट्टी (ईंट निर्माण हेतु) के लिए सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
7. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दुर्ग वनमण्डल, जिला–दुर्ग के ज्ञापन दिनांक 12/04/2019 को जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
8. समीपस्थ आबादी ग्राम–कुम्हारी 1.2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। शैक्षणिक संस्था ग्राम–कुम्हारी 1.5 किलोमीटर एवं अस्पताल ग्राम–कुम्हारी 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रेल्वे स्टेशन 2.9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 0.3 किलोमीटर एवं राज्यमार्ग 3.15 किलोमीटर दूर है। खारून नदी 0.13 किलोमीटर, केनाल 1.7 किलोमीटर एवं तालाब 0.8 किलोमीटर की दूरी है।
9. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
10. जियोलॉजिकल रिजर्व 92,500 घनमीटर एवं रिकव्हरेबल रिजर्व 69,717 घनमीटर है। लीज क्षेत्र के चारों ओर 1 मीटर (0.108 हेक्टेयर) खुला क्षेत्र छोड़ा जाएगा। उत्खनन की अधिकतम गहराई 2 मीटर है। ऊपरी मिट्टी की गहराई 2 मीटर बताया गया है, जिसका उपयोग ईंट निर्माण में किया जाएगा। उत्खनन ओपन कास्ट मैनुअल विधि से की जाएगी। बेंच की ऊंचाई 1 मीटर एवं चौड़ाई 1 मीटर होगी। कोयले की खपत 479.1 टन प्रतिवर्ष बताया गया है। प्रस्तावित फिक्सड चिमनी की ऊंचाई 33 मीटर होगी। ईंट निर्माण हेतु मिट्टी के साथ 50 प्रतिशत फ्लाई ऐश का उपयोग किया जाएगा। खदान की संभावित आयु 17 वर्ष होगी। जल की खपत 9.67 घनमीटर प्रतिदिन (डस्ट सप्रेशन हेतु 2 घनमीटर प्रतिदिन, घरेलू उपयोग 2.5 घनमीटर प्रतिदिन, वृक्षारोपण 1 घनमीटर प्रतिदिन एवं क्ले मोल्डिंग हेतु 4.17 घनमीटर प्रतिदिन) है। जल की आपूर्ति समीपस्थ गांव के वेल एवं ट्यूब वेल से की जाएगी। डस्ट उत्सर्जन के रोकथाम हेतु जल छिड़काव किया जाएगा। वर्षवार उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:–

वर्षवार उत्पादन	मिट्टी + फ्लाई ऐश = क्ले मिक्स (घनमीटर)	ग्रॉस रॉ–ब्रिक उत्पादन (नग)
प्रथम वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
द्वितीय वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285

तृतीय वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
चतुर्थ वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
पंचम वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
छठवे वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
सातवे वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
आठवे वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
नौवे वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285
दसवे वर्ष	3992.73+3999.29 = 7,992.02	39,99,285

11. **पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः**— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
12. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि खदान के चारों तरफ 1 मीटर (0.108 हेक्टेयर) क्षेत्र में 1,447 नग वृक्षारोपण किया जाएगा।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कोयले की खपत को कम करने के लिए आधुनिक तकनीकी के अनुसार आवेदित खदान क्षेत्र के भीतर प्रस्तावित चिमनी किल्न को जिक-जैक पैटर्न तकनीक का उपयोग किए जाने बाबत् लिखित आश्वासन (Commitment) प्रस्तुत किया गया है।
14. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ओ.एम. दिनांक 01/05/2018 के अनुसार सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:—

Capital Investment (in Lakh)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount Required for CER Activities (in Lakh)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh)	
			Particulars	**CER Fund Allocation (in Lakh)**
Rs.135	2%	Rs. 2.70	Following activities at Nearby Goverment Higher secondary School Village-Kumhari	
			Rain water harvesting	Rs. 0.50
			Potable Drinking Water Facility	Rs. 0.70
			Running Water Facility for Toilets	Rs. 0.30
			Plantation Work	Rs. 0.20
			Solar Lighting System	Rs. 1.00
			Total	**Rs. 2.70**

15. माननीय एन.जी.टी., प्रीसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरूद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रुप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:–

a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.

b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दुर्ग के ज्ञापन क्रमांक 73/खनि. लि02/खनिज/2019 दुर्ग, दिनांक 09/04/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानें क्षेत्रफल 6.265 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्लस्टर निर्मित होने के कारण यह खदान बी–1 श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण बी–1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरिंग इन्वायरमेंट क्लीयरेंस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नॉन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अतिरिक्त टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:–

i. Project Proponent shall inform S.E.A.C. Chhatisgarh before start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.

ii. Project proponent shall submit NOC from CGWA for withdrawal of ground water.

iii. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.

iv. CER proposals with details of works and detail estimates.

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

4. मेसर्स हनुमंत एलॉयज (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड, सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 881)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ आईएनडी/ 36857/ 2019, दिनांक 27/05/2019।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सिलपहरी औद्योगिक क्षेत्र, ग्राम–हरदीकला, तहसील–बिल्हा, जिला–बिलासपुर स्थित प्लाट क्रमांक 657, कुल क्षेत्रफल – 9.76 एकड़ (3.95 हेक्टेयर) में स्थापित डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 15,000 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 50 टन प्रतिदिन) से 16,500 टन प्रतिवर्ष (Increase in the No. of days from 300 to 330 days), न्यू डीआरआई किल्न (स्पंज आयरन) क्षमता – 41,250 टन प्रतिवर्ष (1 गुणा 125 टन प्रतिदिन) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रुपए 11 करोड़ है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 280वीं बैठक दिनांक 11/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:–

1. वर्तमान में स्थापित इकाईयों हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा जारी सम्मति शर्तों के पालनार्थ की कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।
2. भूमि स्वामित्व/भूमि आबंटन संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत की जाये। यह स्पष्ट किया जावे कि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है अथवा नहीं? यदि भूमि इण्डस्ट्रीयल एरिया के अंतर्गत शामिल है, तो इसकी पुष्टि हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत की जाए।
3. सेन्ट्रल ग्राउंड वॉटर अथॉरिटी द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार परियोजना स्थल सेमी क्रिटिकल अथवा क्रिटिकल अथवा सेफ जोन के अंतर्गत आने बाबत् जानकारी प्रस्तुत की जाये। ग्राउण्ड वाटर उपयोग करने हेतु सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी से अनुमति की प्रति प्रस्तुत की जाए।
4. वर्तमान में स्थापित एवं क्षमता विस्तार के तहत् प्रस्तावित ग्राउंड वाटर रिचार्ज व्यवस्थाओं एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग व्यवस्थाओं का विवरण (नंबर एवं साईज सहित) प्रस्तुत की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 11/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 285वीं बैठक दिनांक 23/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 22/07/2019 द्वारा सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 14/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती /अनुरोध पत्र एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 21/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है। अतः अनुरोध किया गया कि अक्टूबर माह के आयोजित बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिया जाए।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए परियोजना प्रस्तावक को अक्टूबर माह की आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

5. मेसर्स कोटराबुंदेली डोलोमाईट स्टोन (प्रो.–श्री तिलक चन्द्रवंशी), ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 898ए)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 35828/2019, दिनांक 11/05/2019। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन में तकनीकी त्रुटि होने के कारण दिनांक 06/06/2019 द्वारा प्रस्तुत ऑफलाईन आवेदन को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित डोलोमाईट पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम–कोटराबुंदेली, तहसील–सहसपुर–लोहारा, जिला–कबीरधाम स्थित खसरा 194/1, 194/2 एवं 194/3, कुल क्षेत्रफल – 2.129 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 99,820.07 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 283वीं बैठक दिनांक 14/06/2019:

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया थाः–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में एल.ओ.आई. एवं समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 15/07/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 286वीं बैठक दिनांक 24/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री तिलक चन्द्रवंशी, प्रोपराईटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत कोटराबुंदेली का दिनांक 03/04/2018 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।

2. **उत्खनन योजना** – क्वारी प्लान इन्व्हायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्वारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बेमेतरा द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन क्रमांक 771/खनिज/ख.लि./ई–टेण्डर/2019 कबीरधाम, दिनांक 04/05/2019 के अनुसार आवेदित रेत खदान से 500 मीटर के भीतर 1 अन्य खदान क्षेत्रफल 2.874 हेक्टेयर है।
4. एल.ओ.आई. कार्यालय कलेक्टर (खनिज), जिला–कबीरधाम के ज्ञापन दिनांक 09/05/2018 द्वारा जारी किया गया है। अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता समाप्त हो गई हैं।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया।
6. समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के अनुरोध को स्वीकार करते हुए निर्णय लिया गया था कि परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज (पठनीय प्रति) एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गईः–

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई रोड, पुल, रेललाइन, नहर, बांध, ऐनीकट, भवन, स्कूल, राष्ट्रीय राजमार्ग, अस्पताल, धार्मिक स्थल, ऐतिहासिक स्थल एवं अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।
2. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कवर्धा वनमण्डल, कवर्धा के ज्ञापन दिनांक 26/12/2017 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार उक्त भूमि वनक्षेत्र से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 20/08/2019 को सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. एल.ओ.आई. वैधता वृद्धि संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाए।
2. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

6. मेसर्स स्पेक्ट्रम कोल एण्ड पॉवर लिमिटेड, ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 98)

ऑनलाईन आवेदन – वर्तमान में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ टीएचई/ 37384/ 2013, दिनांक 06/06/2019 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन (change in fuel) हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में स्थापित कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट में वॉशरी रिजेक्ट के स्थान पर रॉ–कोल का उपयोग करने के लिए (change in fuel) पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन हेतु आवेदन किया गया है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। **समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–**

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(ब) समिति की 287वीं बैठक दिनांक 25/07/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु कोई भी प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुए। समिति द्वारा नस्ती/अनुरोध पत्र का अवलोकन किया गया। परियोजना प्रस्तावक के पत्र दिनांक 25/07/2019 द्वारा सूचना दी गई कि उनका समिति के समक्ष अपरिहार्य कारणों से बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित होना संभव नहीं है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह के आयोजित बैठक में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को दूरभाष से प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु संजय मालवीय, एरिया जनरल मैनेजर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा नस्ती/जानकारी का परीक्षण किया एवं पाया गया कि:–

1. **जारी पर्यावरणीय स्वीकृति –**

   - एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1088, दिनांक 29/11/2013 द्वारा ग्राम–रतिजा, तहसील–कटघोरा, जिला–कोरबा स्थित खसरा क्रमांक 599/20, कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर में कोल वॉशरी रिजेक्ट आधारित पॉवर प्लांट (2 गुणा 50 मेगावॉट) क्षमता – 100 मेगावॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है।

- जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की बिन्दुवार जानकारी प्रस्तुत की गई है।

2. **समीपस्थ स्थित क्रियाकलापों संबंधी जानकारी** –

   - समीपस्थ आबादी ग्राम–रतिजा 0.5 किलोमीटर एवं कोरबा शहर 26.4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। निकटतम रेलवे स्टेशन गेवरा 15.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मानिकपुर संरक्षित वन 6.6 किलोमीटर, चिंदपानी संरक्षित वन 6.4 किलोमीटर एवं धौराभाटा संरक्षित वन 9.7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है।

   - परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 किलोमीटर की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

3. **लेण्ड एरिया स्टेटमेंट** – कुल क्षेत्रफल – 79 हेक्टेयर है। जिसमें से बिल्डिंग / शेड्स का क्षेत्रफल – 14 हेक्टेयर, रोड/पेव्ड का क्षेत्रफल – 4 हेक्टेयर, खुला क्षेत्रफल – 35 हेक्टेयर तथा हरित पट्टिका हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल – 26 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) है।

4. **रॉ–मटेरियल** – रॉ–कोल एस.ई.सी.एल. कोरबा के खदानों से आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से वॉशरी तक रॉ–कोल का परिवहन सकड़ मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा।

Particulars	As per Existing EC	As per amendment proposal
Fuel (TPA)	Washery Rejects	Raw coal
Quantity (TPA)	9,60,000	6,65,760
GCV (Kcal/ kg)	2,440	3,600
Ash generation (TPA)	5,28,000	3,06,250
Plant heat rate	3,000 Kcal/KWH	3,000 Kcal/KWH
Power generated	374 MU at 85% PLF	374 MU at 85% PLF
Plant Load Factor	80%	80%
Water	229 M^3 / Hr	229 M^3 / Hr

5. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वॉशरी रिजेक्ट्स की उपलब्ध मात्रा लगभग 0.6 मिलियन टन प्रतिवर्ष है। इस कारण रॉ–कोल से उत्पादन हेतु अनुमति के लिए आवेदन किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पूर्व में पॉवर प्लांट में उपयोग किए गए रॉ–मटेरियल (Calorific Value सहित) की वर्षवार जानकारी प्रस्तुत की जाए।

2. वर्तमान में उपलब्ध रिजेक्ट्स कोल (Calorific Value सहित) की मात्रा एवं प्रस्तावित रॉ–कोल (Calorific Value सहित) की मात्रा की जानकारी प्रस्तुत की जाए।

3. प्रस्तावित परिवर्तन से पर्यावरण में होने वाले प्रभाव की गणना सहित जानकारी प्रस्तुत की जाए।

4. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की तीन सदस्यीय उपसमिति श्री अरविन्द कुमार गौरहा, श्री नीलेश्वर प्रसाद साहू एवं डॉ. दीपक सिन्हा, सदस्य के द्वारा उद्योग स्थल का निरीक्षण किया जाए एवं समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक एवं उपसमिति को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, कैसेटराईट माईन, ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 714)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74696/2018, दिनांक 20/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–नेरली, तहसील व जिला–दंतेवाडा स्थित खसरा क्रमांक 179, 182 एवं 183, कुल क्षेत्रफल – 4.97 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत नेरली का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय

खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवाड़ा/टिन/खयो/1072/2017 दिनांक 17/03/2017 द्वारा अनुमोदित है।

3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन दिनांक 10/02/2017 द्वारा खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
4. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा के ज्ञापन दिनांक 01/05/2007 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
5. समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी है, को उल्लंघन की श्रेणी में मानना है।
6. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 में 0.016 टन, 2015–16 में 0.095 टन एवं 2016–17 में 0.095 टन उत्खनन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् उत्खनन किया गया है। अतः प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।
7. प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अवधि में ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदन अमान्य करते हुये निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स प्रेसियस मिनरल्स एण्ड स्मेल्टिंग लिमिटेड, ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 715)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 74714/2018, दिनांक 21/04/2018। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन में कमियाँ होने से ज्ञापन दिनांक 16/07/2018 एवं 23/08/2018 के द्वारा जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वांछित जानकारी दिनांक 05/11/2018, 13/08/2018 एवं 12/06/2019 को ऑफलाईन प्रस्तुत की गई। परियोजना प्रस्तावक द्वारा वेब साईट में जानकारी अपलोड किया जाना संभव नहीं होने के कारण ऑफलाईन प्रस्तुत जानकारी को मान्य किए जाने का अनुरोध किया गया।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित टिन ओर (मुख्य खनिज) खदान है। खदान ग्राम–बड़े बचेली, तहसील व जिला–दंतेवाड़ा स्थित खसरा क्रमांक 979, 980/1,2,3, 981, 982, 983 एवं 984, कुल क्षेत्रफल – 5.314 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता – 1,500 टन प्रतिवर्ष है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा नस्ती का अवलोकन किया गया। समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था:–

1. परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 25/07/2019 में समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् ई–मेल एवं दूरभाष के माध्यम से सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019 – प्रस्तुतीकरण हेतु श्री विमल लुनिया, डॉयरेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण किया गया तथा निम्न स्थिति पाई गई:–

1. **नगर पालिका परिषद् का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – उत्खनन के संबंध में नगर पालिका परिषद् बड़े बचेली, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा का दिनांक 13/12/2005 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – मॉडिफाईड माईनिंग प्लान एण्ड प्रोग्रेसिव माईन क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप खान नियंत्रक एवं प्रभारी अधिकारी, भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर के ज्ञापन क्रमांक दंतेवाड़ा/टिन/खयो/1071/2017 दिनांक 20/02/2017 द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – खनि निरीक्षक, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन दिनांक 10/02/2017 द्वारा खनि अधिकारी, जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा को आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा के ज्ञापन क्रमांक 1788/खनिज/2005, दिनांक 11/04/2005 द्वारा कार्य करने हेतु अनुमति प्रदान की गई है।
5. कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, दंतेवाड़ा वनमण्डल, दंतेवाड़ा के ज्ञापन दिनांक 05/01/2005 द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
6. समिति अवगत हुई कि भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 14/09/2006 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के उत्खनन के 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल के लिए पर्यावरणीय स्वीकृति की आवश्यकता नहीं थी। भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण दिनांक 15/09/2017 के अनुसार मुख्य एवं गौण खनिज के ऐसे समस्त प्रकरण जिनमें दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् भी उत्खनन जारी है, को उल्लंघन की श्रेणी में मानना है।
7. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्ष 2014–15 में 0.015 टन, 2015–16 में 0.119 टन एवं 2016–17 में 0.031 टन उत्खनन किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि दिनांक 15/01/2016 के पश्चात् उत्खनन किया गया है। अतः प्रकरण उल्लंघन की श्रेणी का है।
8. प्रकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी का है। उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। उक्त अवधि में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑनलाईन आवेदन नहीं किया गया है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–

1. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण परियोजना प्रस्तावक के विरूद्ध पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार वैधानिक कार्यवाही हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल को निर्देशित किया जाए। साथ ही स्थापना सम्मति / संचालन सम्मति जारी नहीं किये जाने हेतु भी लिखा जाए।

2. पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किये बिना उत्खनन करने के कारण उल्लंघन की श्रेणी में आने वाले प्रकरणों को भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा जारी ओ.एम. क्रमांक Z-11013/22/2017-IA.II(M) दिनांक 16/03/2018 द्वारा उल्लंघन (Violation) प्रकरणों में आवेदन देने की समय सीमा दिनांक 15/04/2018 तक निर्धारित की गई थी। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उक्त अवधि में ऑनलाईन आवेदन नहीं किए जाने के कारण प्रकरण पर विचार किया जाना संभव नहीं है। अतः आवेदन अमान्य करते हुये निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

एजेन्डा आयटम क्रमांक–3: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय

1. सरपंच, ग्राम पंचायत दरगहन, ग्राम–दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 897)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37375/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–दरगहन, ग्राम पंचायत दरगहन, तहसील–नगरी, जिला–धमतरी स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 02, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–67,500 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये है:–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत दरगहन का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 354/खनि /न.क्र./2019/धमतरी, दिनांक 03/05/2019 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य गौण खनिज की खदान की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकतटम नदी तट से दूरी 40 मीटर है, तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 02, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–75,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 775 दिनांक 31/08/2017 के द्वारा जारी दिनांक से 01 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 9 माह उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है। समिति का मत था कि पर्यावरणीय स्वीकृति जारी दिनांक से 1 वर्ष उपरांत उत्खनन किये जाने वाले

क्षेत्र की वार्षिक रेत पुनःभरण संबंधी अध्ययन एवं तत्संबंधी आँकड़ों सहित गाद अध्ययन (सिल्टेशन स्टडी) रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना था, जिसका पालन परियोजना प्रस्तावक द्वारा नहीं किया गया है। अतः वर्तमान में प्रस्तुत आवेदन को नया रेत खदान (प्रस्तावित) मानकर विचार किया जाएगा।

3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
9. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गया:–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती सरस्वती बाई, सरपंच एवं श्री चन्द्रहास ध्रुव, सचिव, ग्राम पंचायत दरगहन उपस्थित हुए। सरपंच एवं सचिव द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गयाः–

1. सरपंच एवं सचिव के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

2. सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर, ग्राम–राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 898)

ऑनलाईन आवेदन – प्रपोजल नम्बर – एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 37394/2019, दिनांक 06/06/2019।

प्रस्ताव का विवरण – यह पूर्व से संचालित रेत खदान (गौण खनिज) है। यह खदान ग्राम–राजपुर, ग्राम पंचायत राजपुर, तहसील–मगरलोड, जिला–धमतरी स्थित खसरा क्रमांक 01, कुल लीज क्षेत्र 5 हेक्टेयर में है। उत्खनन महानदी से किया जाता है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता–1,53,000 टन प्रतिवर्ष है।

प्रस्ताव के साथ संलग्न मुख्य प्रमाण पत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा रेत खदान (गौण खनिज) खदान के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन के साथ मुख्य रूप से निम्न प्रमाण पत्र संलग्न किये गये हैः–

1. **ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र** – रेत उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत राजपुर का दिनांक 08/02/2019 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. **उत्खनन योजना** – माईनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला–बालोद द्वारा अनुमोदित है।
3. **500 मीटर की परिधि में स्थित खदान** – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य रेत खदानों की संख्या निरंक है।
4. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) के द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार आरक्षित खदान की निकटतम नदी तट से दूरी 30 मीटर है। तथा उक्त रेत खदान के 200 मीटर की सीमा में कोई पुल, राष्ट्रीय राजमार्ग, प्राकृतिक जल स्त्रोत, बांध या जल परिबद्ध करने वाली संरचना अथवा अन्य कोई प्रतिबंधित क्षेत्र स्थित नहीं है।

बैठकों का विवरण –

(अ) समिति की 284वीं बैठक दिनांक 22/07/2019:

समिति द्वारा प्रकरण की नस्ती एवं प्रस्तुत जानकारी का परीक्षण कर, तत्समय **सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गयाः–**

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः– पूर्व में रेत खदान खसरा क्रमांक 01, क्षेत्रफल–5 हेक्टेयर, क्षमता–90,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी के ज्ञापन क्रमांक 54 दिनांक 07/03/2018 के द्वारा जारी दिनांक से 1 वर्ष तक की अवधि हेतु दिया गया था।
2. जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की अवधि समाप्त होने के 3 माह के भीतर पर्यावरणीय स्वीकृति के नवीनीकरण हेतु आवेदन किया गया है।
3. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर प्रति हेक्टेयर 4 बिन्दुओं का ग्रिड बनाकर वर्तमान में रेत सतह का लेवल्स (Levels) लेकर खनिज विभाग से प्रमाणीकरण उपरांत फोटोग्राफ्स सहित जानकारी / दस्तावेज प्रस्तुत किये जाए।
4. रेत उत्खनन हेतु प्रस्तावित स्थल पर वर्तमान में उपलब्ध रेत की मोटाई जानने के लिए प्रति हेक्टेयर में कम से कम एक पिट की वास्तविक खुदाई एवं मापन कर खनिज विभाग द्वारा प्रमाणित जानकारी प्रस्तुत की जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 25/07/2018 द्वारा विहित प्रारुप में डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की जाए।
6. पूर्व में आवेदित स्थल हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (डी.ई.आई.ए.ए.), जिला–धमतरी (छत्तीसगढ़) द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दी गई है। अतः पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति में अधिरोपित शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए। साथ ही वृक्षारोपण की अद्यतन स्थिति की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की जाए।
7. यदि खदान पूर्व से संचालित है, तो विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी खनिज विभाग से प्रमाणित करा कर प्रस्तुत की जाए।
8. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला–धमतरी द्वारा जारी प्रमाण पत्रों (200 मीटर एवं 500 मीटर की जानकारी) में दिनांक का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः उक्त प्रमाण पत्र पुनः प्रस्तुत किया जाए।
9. प्रस्तावित खनन क्षेत्र की लंबाई एवं चौड़ाई तथा नदी के पाट की चौड़ाई की जानकारी प्रस्तुत किया जाए।
10. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को उपरोक्त समस्त पूर्ण जानकारी / दस्तावेज (अद्यतन फोटोग्राफ्स) के साथ आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु निर्देशित किया जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 13/08/2019 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

(ब) समिति की 288वीं बैठक दिनांक 19/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती छगनी निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर उपस्थित हुए। सरपंच द्वारा समिति की आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिये जाने हेतु अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा तत्समय **सर्वसम्मति से निम्न निर्णय लिया गयाः–**

1. खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को आगामी बैठक दिनांक 21/08/2019 को समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए एवं इस बाबत् दूरभाष पर सूचना दी जाए।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण की सूचना दूरभाष के माध्यम से दी गई।

(स) समिति की 290वीं बैठक दिनांक 21/08/2019:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्रीमती छगनी निषाद, सरपंच, ग्राम पंचायत राजपुर उपस्थित हुए। सरपंच द्वारा समिति के समक्ष उपस्थित होकर आगामी माह की बैठक में प्रस्तुतीकरण हेतु समय दिए जाने हेतु अनुरोध किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया:-

1. सरपंच के अनुरोध को स्वीकार करते हुए खनि निरीक्षक तथा परियोजना प्रस्तावक को आगामी माह की बैठक में उपरोक्त समस्त सुसंगत जानकारी/दस्तावेज एवं वर्तमान स्थल के फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

खनि निरीक्षक एवं परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

(धीरेन्द्र शर्मा)
अध्यक्ष
राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति
छत्तीसगढ़